संख्या- 2552/81-2-2022-800(95)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 11 नवम्बर, 2022

विषय- जनपद-हापुड में Indrprastha Gas Ltd project for Laying of 8" NB Carbon Steel Gas Pipeline 125 MMMDPE & 50 mm Duct in same trench along old NH 24 (Hapur city area(Left side) from Km 49.800 to Km 54.oo& Nh 235 (Meerut-Hapur Road) (Left side) From Km. 28.500 to Km 31.300 Total Km.7.00 & 0.3500 हे0संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की विधिवत स्वीकृति के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 एफपी/यूपी/पाईप लाईन/148454/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-968/11-सी-एफपी/यूपी/पाईप लाईन/148454/ 2021, दिनांक 12.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या- 11-9/98-एफसी, दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्थानुसार जनपद-हापुड में Indrprastha Gas Ltd project for Laying of 8" NB Carbon Steel Gas Pipeline 125 MMMDPE & 50 mm Duct in same trench along old NH 24 (Hapur city area(Left side) from Km 49.800 to Km 54.oo& Nh 235 (Meerut-Hapur Road) (Left side) From Km. 28.500 to Km 31.300 Total Km. 7.00 & 0.3500 हे0संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के संबंध में दिनांक 01-07-2022 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के आधार पर निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:/ parivesh.nic.in/).
13	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
14	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।
15	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00मीटर से अधिक न होगी।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
17	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
18	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
19	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
20	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
21	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के क्रम में रिवाइज्ड शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की देयता के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06-01-2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19-01-2022 का अनुपालन करते हुये तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।
22	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
23	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
26	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
27	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु-1 के अनुपालन में 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु जनपद गाजियाबाद में पूर्व में ही रू0 93,60,000/- प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा किया गया है।
28	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि विधिवत स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- वन संरक्षक, मेरठ।
(3)- जिलाधिकारी, हापुड।
(4)- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड वन प्रभाग, हापुड।
(5)- श्री अजय त्यागी, उपाध्यक्ष, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0,आई0जी0एल0, भवन प्लाट नं0-4, कम्युनिटी सेण्टर, आर0के0 पुरम, सेक्टर-9, नई दिल्ली।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।